न्यायालय संभागीय आयुक्त जयपुर

अपील जीसीएमएस संख्या 2024/298

1. के0 आर0 मीणा पुत्र श्री ग्यारसीलाल मीणा जाति मीणा निवासी प्लाट नम्बर 207–ए, शिव शक्ति नगर, मॉडल टाउन जगतपुरा रोड, तहसील सांगानेर जिला जयपुर ।
2. श्रीमती धन्नी देवी पत्नी स्व0 श्री ग्यारसीलाल जाति मीणा निवासी ग्राम घाटी करोलान, पोस्ट खोनागोरियान, तहसील सांगानेर जिला जयपुर ।

–अपीलाण्ट्स

बनाम

1. संजय सोलंकी पुत्र श्री तोगाराम सोलंकी जाति मेघवाल निवासी प्लाट नम्बर 27, विष्णुपुरी डालडा फैक्ट्री रोड़, दुर्गापुरा, तहसील सांगानेर जिला जयपुर ।
2. राजस्थान राज्य सरकार जरिये तहसीलदार आमेर तहसील आमेर जिला जयपुर ।
3. जयपुर विकास प्राधिकरण जयपुर जरिये सचिव पता जवाहर लाल नेहरू मार्ग जयपुर।
4. क्षेत्रीय वन अधिकारी मिनी सचिवालय बनीपार्क जयपुर ।
5. श्रीमती चन्दी देवी पत्नी श्री बाबूलाल जाति गुर्जर निवासी ग्राम जैतपुर खिंची, तहसील आमेर जिला जयपुर ।
6. मोती पुत्र श्योबक्श जाति मीणा निवासी ग्राम घाटी करोलान, पोस्ट खोनागोरियान, तहसील सांगानेर जिला जयपुर ।
7. रुघनाथ पुत्र श्योबक्श जाति मीणा निवासी ग्राम घाटी करोलान, पोस्ट खोनागोरियान, तहसील सांगानेर जिला जयपुर ।
8. भैरू पुत्र श्योबक्श जाति मीणा निवासी ग्राम घाटी करोलान, पोस्ट खोनागोरियान, तहसील सांगानेर जिला जयपुर ।
9. नानगा पुत्र श्योबक्श जाति मीणा निवासी ग्राम घाटी करोलान, पोस्ट खोनागोरियान, तहसील सांगानेर जिला जयपुर ।

–रेस्पोडेण्टस्

अपील अर्न्तगत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 विरूद्ध श्रीमान् उपखण्ड अधिकारी आमेर जिला जयपुर निर्णय दिनांक 28/6/2023 प्रार्थना पत्र संख्या 09/2022 उनवान संजय सोलंकी बनाम राजस्थान सरकार व अन्य।

उपस्थित–

1. श्री प्रेमप्रकाश शर्मा, वकील अपीलान्ट।
2. श्री रघुवीर सिंह राठौड वकील रेस्पोडेन्ट नं. 1 की ओर से

निर्णय

दिनांक–18.07.2024

1. उक्त अपील राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 75 के अन्तर्गत उपखण्ड अधिकारी आमेर जिला जयपुर के निर्णय दिनांक 28.06.2023 के खिलाफ प्रार्थना पत्र मियाद अधिनियम की धारा–5 के साथ प्रस्तुत हुई है।

संभागीय आयुक्त
जयपुर

2. प्रकरणके संक्षिप्त तथ्य निम्न प्रकार है कि रेस्पोडेन्ट संख्या–1 द्वारा अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी आमेर जिला जयपुर के समक्ष प्रार्थना पत्र धारा 128 एल.आर.एक्ट के तहत एक प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर वाके ग्राम जैतपुर खिंची तहसील आमेर जिला जयपुर में स्थित कृषि भूमि खसरा नम्बर 80 रकबा 1.26 है0 के पत्थरगढी किये जाने हेतु निवेदन किये जाने पर उपखण्ड अधिकारी आमेर जिला जयपुर द्वारा आवेदन स्वीकार कर उभयपक्षकरान् की उपस्थिति मेंविधिक प्रकिया अपनाते हुये पत्थरगढी किये जाने के आदेश दिनांक 28.06.2023 को दिये गये।

3. उपखण्ड अधिकारी आमेर जिला जयपुर के उक्त निर्णय दिनांक 28.06.2023 से व्यथित होकर अपीलान्ट द्वारा यह अपील प्रार्थना पत्र मियाद अधिनियम की धारा–5 के साथ प्रस्तुत कर अपील स्वीकार करने एवं अपीलाधीन आदेश उपखण्ड अधिकारी आमेर जिला जयपुर दिनांक 28.06.2023 निरस्त किये जाने की प्रार्थना की गयी है।

4. अपील प्रस्तुत होने पर उभयपक्ष के योग्य अधिवक्ताओं की बहस, बहस एडमिशन पर सुनी गई।

5. अपीलान्ट्स के योग्य अधिवक्ता ने बहस के दौरान अपील मीमो में अंकित तथ्यों को दौहराते हुये मुख्य रूप से कथन किया कि अपीलान्ट एवं रेस्पोडेन्ट संख्या 1 आपस में पडौसी खातेदार काश्तकार है अपीलान्ट की भूमि के खसरा नम्बर 52, 53, 56, 79, 81, 82, 83 जिसमें अपीलान्ट संख्या 1 का 1/2 हिस्सा एवं अपीलान्ट संख्या 2 का 1/2 हिस्सा निहित है जो राजस्व रिकार्ड में दर्ज व अंकित हैं। प्रत्यर्थी/प्रार्थीगण द्वारा दिनांक 25/6/2021 को करवाया गया सीमाज्ञान की रिपोर्ट से भली भांति अवलोकन करने पर स्ष्ट है कि सीमाकंन मौके की स्थिति के अनुसार मुताबिक नक्शा किसी प्रकार का मौका की सीमाओं में अन्तर होना नही बताया गया हैं। ऐसी स्थिति में उक्त सीमाकंन रिपोर्ट के आधार पर किये गये पत्थरगढी के आदेश विधि विरूद्ध होने से अपास्त किये जाने योग्य हैं। यह कि सीमाज्ञान में राजस्व मौका व राजस्व रिकार्ड में सीमाओं में अन्तर नही पाये जाने से सीमाज्ञान रिपोर्ट बनावटी व मिथ्या कायम की गई है जिससे उसकी संदिग्धता प्रकट होती हैं। ऐसी स्थिति में अपीलाधीन आदेश निरस्त किये जाने योग्य हैं।अधिनस्थ न्यायालय ने अपीलाधीन निर्णय पारित करते समय इस तथ्य पर गौर नहीं किया कि सीमाकंन रिपोर्ट दिनांक 25/6/2021 को तैयार करने से पूर्व न तो पडौसी खातेदारों को सूचना व सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान नही किया गया है जिसका स्पष्टीकरण सीमाज्ञान रिपोर्ट पर किसी भी पडौसी खातेदार के हस्ताक्षर नही हैं।पत्थरगढी व सीमाकंन करते समय मौके पर मुश्तकिल पोईन्ट कायम नही किया गया जो सीमाज्ञान एवं पत्थरगढी की कार्यवाहियों में आवश्यक एवंआज्ञापक होता है बिना मुश्तकिल पोईन्ट कायम किये पत्थरगढी व सीमाज्ञान की कार्यवाही कानूनन मान्य नही हैं।पत्थरगढी के आदेश की आड में अप्रार्थी द्वारा तारफेंसिग के अन्दर छोटे–छोट पत्थर गाढे गये हैं। ऐसी स्थिति में अधिनस्थ न्यायालय ने पक्षकारों की सहमति लिये बिना एवं उन्हें सुनवाई का अवसर प्रदान किये बिना अपीलाधीन निर्णय पारित कर दिया जो प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के विरूद्ध एवं विधिसम्यक नहीं होने से खारिज किये जाने योग्य है। अतः अपीलार्थी की अपील स्वीकार की जाकर अधिनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी आमेर जिला जयपुर निर्णय दिनांक 28.06.2023 निरस्त किया जावे।

6. रेस्पोंडेन्ट संख्या 1 के योग्य अधिवक्ता ने बहस के दौरान अपील का विरोध करते हुये मुख्य रूप से कथन किया कि प्रार्थी ने विधिवत् अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी आमेर जिला जयपुर के समक्ष प्रार्थना पत्र धारा 128 एल.आर.एक्ट के तहत एक प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर वाके ग्राम जैतपुर खिंची तहसील आमेर जिला जयपुर में स्थित अपनी खातेदारी की कृषि भूमि खसरा नम्बर 80 रकबा 1.26 है0 के पत्थरगढी किये जाने हेतु निवेदन किया गया। जिसका प्रार्थीखातेदार काश्तकार है।अपीलांट्स द्वारा माननीय न्यायालय के समक्ष अप्रार्थीगण को हैरान–परेशान करने की नियत से असत्य, मिथ्या बनावटी तथ्यों के आधार पर मियाद बाहर अपील प्रस्तुत की है। प्रार्थी को अपीलाधीन आदेश की प्रारम्भ से ही बखूबी जानकारी रही है। अपीलार्थी द्वारा उक्त मियाद बाहर

अपील फौरे तथ्यों पर संतोषप्रद कारण के अभाव में एवं देरी ना के सम्बंध में कोई सम्यक युक्ति युक्त कारण दर्शित किये बिना ही अपील पेश की है।प्रार्थी द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष विधिवत् अपनी खातेदारी की भूमि की पैमाइश पत्थरगढी करवाने हेतु प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 128 पेश किया जिस पर न्यायालय द्वारा विधिवत् उक्त खसरा नम्बर पर उभयपक्षकारान् को सूचित कर पत्थरगढी किये जाने के आदेश दिये गये जो कि उचित एवं विधिसम्मत् है। प्रत्येक खातेदार को यह अधिकार है कि वह अपनी खातेदारी की भूमि की विधिक प्रकिया के तहत पत्थरगढी पैमाईश करवा सकता है। अधीनस्थ न्यायालय के अपीलाधीन आदेश दिनांक 28.06.2023 की अनुपालना में सभी पक्षकारान् की उपस्थिति में पत्थरगढी की कार्यवाही पूर्ण हो चुकी है। अतः ऐसी स्थिति में अपीलाधीन आदेश की पालना हो जाने से अपील पोषणीय नहीं होने से खारिज किये जाने योग्य हैं अतः अपीलाधीन आदेश यथावत रखते हुये अपील अपीलांट खारिज की जावे।

7. हमने प्रकरण के अभिलेख को देखा। प्रकरण के तथ्यों व दस्तावेजी साक्ष्यों पर विचार किया एवं उभयपक्ष के योग्य अधिवक्ताओं की बहस पर मनन किया। न्यायहित में नकल दिनांक 04.07.2024 को प्राप्त होने से अपीलांट द्वारा पेश किये गये प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 5 कानून मियाद अधिनियम स्वीकार किया जाकर अपील पेश करने पर हुई देरी को क्षम्य किया जाता है। पत्रावली के अवलोकन से जाहिर होता है कि रेस्पो0 संख्या 1 द्वारा ग्राम जैतपुर खिंची तहसील आमेर जिला जयपुर में स्थित अपनी खातेदारी की भूमि खसरा नम्बर 80 रकबा 1.26 है0 की पत्थरगढी का आवेदन किये जाने पर अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी आमेर द्वारा विधिवत् ही उभयपक्षकरान् की उपस्थिति में पत्थरगढी किये जाने के आदेशदिये गये हैं। इस संबंध में हमारा विनम्र मत है कि प्रत्येक खातेदारका यह अधिकार है कि वह अपनी खातेदारी की भूमि की विधिक प्रकिया के तहत पत्थरगढी पैमाईश करवा सकता है। अपीलांट ने स्वयं यह कथन किया है कि उक्त अपीलाधीन आदेश 28.06.2023 की पालना भी जा चुकी है अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपीलाधीन आदेश की पालना हो जाने से अपील पोषणीय नहीं होने सेअपील इसी स्तर पर खारिज किया जाना उचित समक्षते हैं। फिर भी अगर किसी पक्षकार को आपत्ति है तो वह अपनी खातेदारी भूमि की विधिक प्रकिया के तहत आवेदन कर पैमाईश व पत्थरगढी करवा सकता है। ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी आमेर जिला जयपुर का अपीलाधीन आदेश उचित व विधिसम्यक है। इसमें किसी प्रकार की त्रुटि प्रतीत नहीं होती है। इसमें हस्तक्षेप किया जाना उचित नहीं समक्षते हैं।

अतः आदेश है कि: अपील अपीलांट बहस एडमिशन के स्तर पर ही निरस्त की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी आमेर जिला जयपुर का निर्णय दिनांक 28.06.2023 यथावत रखा जाता है।

(डॉ आरूषी मलिक)
संभागीय आयुक्त,
जयपुर

निर्णय आज दिनांक 18.07.2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

संभागीय आयुक्त
जयपुर